भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5477

05 अप्रैल, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रैप का आयात

5477. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में इस्पात स्क्रैप के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अगले दशक के लिए इस्पात की माँग और उत्पादन स्तर का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्ययोजना शुरू की गई है;

(घ) सरकार द्वारा इस्पात स्क्रैप के आयात की माँग को कम करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में और अधिक स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में इस्पात स्क्रैप के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित स्क्रैप इस्पात का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	**आयात (एमटी में)**
2019-20	6.566
2020-21	5.571
2021-22	4.845
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)	

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है।

तद्नुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अधिसूचित किया जिसमें भारतीय इस्पात उद्योग के लिए वर्ष 2030-31 तक मांग एवं आपूर्ति, दोनों पक्षों पर दीर्घावधि विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा दी गई है। इस नीति में वर्ष 2030-31 तक 255 एमटी के क्रूड इस्पात के कुल उत्पादन तथा 230 एमटी की कुल तैयार इस्पात की मांग की परिकल्पना की गई है।

(घ) और (ङ): इस्पात मंत्रालय ने 07 नवंबर 2019 को इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया। इस नीति में विभिन्न स्रोतों और विभिन्न उत्पादों से उत्पन्न होने वाले फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुकर बनाने व बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा दी गई है। इस नीति में विखंडन केंद्रों तथा स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना, एग्रीगेटर की भूमिका तथा सरकार, विनिर्माता तथा मालिक के दायित्वों के संबंध में मानक दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अनुसार देश में इस्पात केंद्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों तथा निवेशकों हेतु अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र सृजित करने के लिए सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। उद्यमियों द्वारा स्क्रैप केंद्रों की स्थापना का निर्णय वाणिज्यिक व्यवहार्यताओं के आधार पर लिया जाता है।

****